# फर्द अहकाम
## (नियम 26)
## अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर
### प्रभू बनाम बाबूलाल वगै0

किस्म मुकदमा 225 आर टी एक्ट.............अपील संख्या 61/2025

GCMS NO 2025/---98---

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अइकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 02.06.25 | अपील श्री नेमी चंद बैरवा अधिवक्ता ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के प्रकरण संख्या 63/23 उनवानी बाबूलाल वगै0 बनाम प्रभू वगै0 मे पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 13.9.23 के विरूद्व पेश की गई है। चूकिः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है जो पूर्ण निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। चूकिः अभी प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय मे जबाब अप्रार्थीगण/अपीलांट की तलबी मे विचाराधीन है। इस प्रकार न्यायहित मे प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नियत दिनांक को अपीलांट/अप्रार्थीगण से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन करते हुए अन्दर 2 माह मे प्रकरण का अंतिम निस्तारण करे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्रस्तुत करे।<br>निर्णय सुनाया गया। पत्रावली मे आवश्यक कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे।<br><br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>सवाई माधोपुर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:34 IST
Reason: SelfAttested